Allotment Order School

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.nic.in

क्रमांक:प2 (8) ( )राजस्व–ाा/10/   दिनांकः – –2011

भूमि आवंटन आदेश

उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी द्वारा प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0विधालय हमाउ तह0 रामगंजमंडी के प्रार्थना पत्र पर विधालय भवन व खैल मेदान हेतु ग्राम हमाउ तह0 रामगंजमंडी की आराजी ख0न0 341 रकबा 0.04 है0 व ख0न0342 रकबा 0.24 है0 किस्म गे0मु0 बंजड कुल रकबा 028 है0 आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये । तहसीलदार रामगंजमंडी की रिर्पोट के अनुसार भूमि मोके पर शाला भवन बना हुआ है । ग्राम पंचायत बडोदियाकला द्वारा भी आमसभा की बैठक में विधलय को भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया है । अतः उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी की अनुशंषा एवं तहसीलदार रामगंजमंडी की सहमति व ग्राम पंचायत बडोदियाकला के प्रस्ताव के आधार पर ग्राम हमाउ तह0 रामगंजमंडी की आराजी ख0न0 341 रकबा 0.04 है0 व ख0न0342 रकबा 0.24 है0 किस्म गे0मु0 बंजड कुल रकबा 028 है0 भूमि रा0 प्रा0 विधालय हमाउ के शालाभवन व खैल मैदान हेतु राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कालेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 ,अधिसूचना दिनांक 13–2–2001 के अनुसरण में निम्नांकित शर्तों पर 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटित की जाती है :–

1– भूमि जिस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है उसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा सकेगा

2– प्रस्तावित स्थल तक पहुच मार्ग की चौडाई 40 फुट रखी जावे।

3– सम्पति के समस्त अधिकार राज्य सरकार में निहित होगें ।

5– आवंटित भूमि का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा और किसी भी रूप में विक्रय, उप पट्टे पर किया जाना या अन्तरण आवंटन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावेगा ।

6– आवंटिती संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लीजडीड तैयार कर तहसील के माध्यम से लीजडीड का निष्पादन कराकर पंजीयन अन्दर 3 माह करना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

7– स्थल पर निर्माण कार्य से पूर्व भू–उपयोग परिवर्तन /निर्माण स्वीकृति संबंधित स्थानीय निकाय से नियमानुसार लिया जाना आवश्यक होगा।

8– आवंटिती उपरोक्त समस्त शर्तो को पूरा करने के लिए कानून बाध्य होगा।

9– उपर वर्णित शर्तो में से किसी भी शर्त का अतिक्रमण होने की दशा में भूमि वापस सरकार में निहित की जावेगी।

10– तहसीलदार रामगंजमंडी भूमि पर कब्जा संभलायेगा एवं उपर वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करावेगा ।

Sd/
जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांक:प.2(8) ( )राजस्व–ाा/10/ 245–53   दिनांक 13–01–2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1– उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी।

2– विकास अधिकारी पं0स0 खैराबाद।

3– तहसीलदार रा0मण्डी को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

5– प्रधानाध्यापक, रा0 प्रा0 विधालय हमाउ प0स0 खैराबाद को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की शर्त संख्या 7 की पालना में अवधि मध्य संलग्न प्रपत्र में लीजडीड तैयार कर तहसीलदार के माध्यम से प्रस्तुत करें।

6 सरपंच ग्राम पंचायत बडोदियाकला प0स0 खैराबाद जिला कोटा

6– जिला राजस्व लेखाकार कलेक्ट्रेट कोटा

7– निजी सहायक जिला कलेक्टर, कोटा/एन0आई0सी0 सेंटर

8– रक्षित पत्रावली

जिला कलेक्टर
कोटा